कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा उमराव कंवर, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जस्सूसर गेट, बीकानेर का स्थानान्तरण राउमावि हुसंगसर, बीकानेर किया गया था जिसके विरूद्ध उमराव कंवर द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1093/2021 उमराव कंवर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 1093/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विधवा होने एवं अपने पुत्र के असाध्य न्यूरो रोग से ग्रस्त होने तथा अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि जस्सूसर गेट जिला बीकानेर/राउमावि ईदगाह बारी जिला बीकानेर/राउमावि शिवबाडी जिला बीकानेर अथवा राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए किसी भी विद्यालय/राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष का पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी को बीकानेर शहर के समीपवर्ती विद्यालय में ही स्थानान्तरित किया गया है किसी अन्य जिले या दूरस्थ स्थान पर नहीं। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार विधवा महिला अभ्यर्थी को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश अवश्य प्राप्त थे किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अपीलार्थी को प्रशासनिक आवश्यकता में भी अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा पुत्र के न्यूरो रोग से ग्रस्त होने के आधार पर जो अनुतोष चाहा गया है, उसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप पुत्र की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। उक्तानुसार अपीलार्थी, उमराव कंवर द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/उमराव कंवर/1093/2021/214 दिनांक: 10/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक बीकानेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. उमराव कंवर, प्रधानाचार्य राउमावि हुसंगसर जिला बीकानेर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)